

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1941 /

जबलपुर, दिनांक ०७/०३/२०१८ ०४

श्री गणेश प्रसाद केवट, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर बी.ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की कार्योत्तर अनुमति इस चेतावनी के साथ दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति करने पर उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/1942 /

जबलपुर, दिनांक ०७/०३/२०१८ ०४

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार(प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्याइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. सहायक स्थापना / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. सहायक सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर श्री गणेश प्रसाद केवट, भृत्य के बी.ए. उत्तीर्ण करने की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में करने हेतु अंकसूची की छायाप्रति सहित,
7. श्री गणेश प्रसाद केवट, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)